

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.
दिनांक:- / / 2016

कमांक:-भू.अ. / 2016 /

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री सीताराम अहीर पिता भुरालाल अहीर नि.
पुरोहित बासोवा प.ह. तुम्बाडिया के राजस्व ग्राम पुरोहित बासोवा में जमाबन्दी संवत् 2078,
2081 की खाता संख्या 324,318,82 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
ने-सम्मानजनक जितिक नाम भुरालाल अहीर किये जाने की रिपोर्ट की है।
सम्मानजनक जितिक नाम भुरालाल अहीर का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबन्धित जाति) अनुसूचित जाति
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है / दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं।
जाति संशोधन की रिथिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

कमांक:-रीडर / 2016 /

दिनांक:- / / 2016

निमित्त:

2025 / 1064

18/12/2025

पटवार हल्का तुम्बाडिया

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल आर एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी / प्रार्थीयान के अनुसार श्री सीताराम अहीर पिता भुरालाल अहीर

राजस्व ग्राम पुरोहित बासोवा प.ह. तुम्बाडिया की खाता संख्या 324,318,82 में
जितिक नाम भुरालाल अहीर दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री सीताराम अहीर पिता भुरालाल अहीर की
जितिक नाम भुरालाल अहीर एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज
करने की रजिस्ट्रार द्वारा दी जाती है। प.ह. तुम्बाडिया राजस्व रिकार्ड में
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

660
2025